संख्या-172/2015/538आ.न.यो./9-8-15-09आ.न.यो(बजट)/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत-हरिहरपुर, जनपद-संतकबीरनगर/नगर पंचायत-कलीनगर, जनपद-पीलीभीत/नगर पंचायत-नवाबगंज, जनपद-उन्नाव/नगर पंचायत-अदरी, जनपद-मऊ/नगर पंचायत-सिधौली, जनपद-सीतापुर/नगर पंचायत-राजापुर, जनपद-चित्रकूट/नगर पंचायत-दरियाबाद, जनपद-बाराबंकी/नगर पंचायत-सिकन्द्रा, जनपद-कानपुर देहात।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पंचायतों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नागर निकायों, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस, सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरो/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-338/नौ-8-2015-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 06 फरवरी, 2015 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्रावधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 08 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष सम्बन्धित निकायों के सम्मुख अंकित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 451.175 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यावन लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 दिनांक 24 जनवरी, 2008, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-338/नौ-8-2015-4(23)आ.न.यो./10 दिनांक 06 फरवरी, 2015 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(2) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सृजित की गयी परिसम्पत्तियों, बैंक्वेट हाल/मैरिज हाल, सामुदायिक केन्द्र, शापिंग काम्पलेक्स व दुकानों का निर्माण आदि किया जाना विशुद्व रूप से व्यापारिक गतिविधियां है। अत: इन सृजित परिसम्पत्तियों से नागर निकाय को प्राप्त होने वाली आय से अनुरक्षण/संचालन के पश्चात जो धनराशि अवशेष बचती है, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण हेतु सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा तत्काल बिल बनाकर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु निकाय द्वारा खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में उसी दिन सीधे जमा की जायेगी।

(4) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रकिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(6) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत डेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के डेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमश: इससे अधिक के डेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(7) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(8) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(10) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराव होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तो में किया जायेगा।

(11) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(15) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।

(16) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2015 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-''2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-172/2015/538(1)आ.न.यो./9-8-15 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश्, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-172/2015/538आ.न.यो./नौ-आठ-2015-09आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 25 मार्च,2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	मूल्यांकित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	संतकबीरनगर	न.पं. हरिहरपुर	वार्ड नमबर-7 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य।	21.80	21.80		
			योग-		**21.80**	**21.00**	**10.50**
2	पीलीभीत	न.पं. कलीनगर	अलीसेर के मकान से नवरिया की ओर पेवर ब्लाक कार्य।	38.10	38.10		
			वार्ड नम्बर-4 गुलशेर के मकान से कब्रिस्तान तक पेवर ब्लाक कार्य।	41.90	41.90		
			शमशान घाट से अंगने के मकान तक पेवर ब्लाक कार्य।	28.00	28.00		
			मैन चौराहे पर इंटरलाक पेवर ब्लाक कार्य।	10.94	10.94		
			मोबीन खां की दुकान से ईदगाह तक इंटरलाक पेवर ब्लाक कार्य।	48.65	48.65		
			मैन चौराहे से पूरनपुर मार्ग की ओर पेवर ब्लाक कार्य।	21.94	21.94		
			हमीद के घर से इशरार के घर व नसीम के घर से हादियार के घर तक इण्टरलाक कार्य।	07.84	07.84		
			शमशाद के घर से चमरईया तालाब तक पेवर ब्लाक कार्य।	08.94	08.94		
			योग-		**206.31**	**200.00**	**100.00**

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-172/2015/538आ.न.यो./नौ-आठ-2015-09आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 25 मार्च,2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	मूल्यांकित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
3	उन्नाव	न.पं. नवाबगंज	वार्ड संख्या-5 में ललित स्वर्णकार के घर से मुन्ना टेलर के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	19.86	19.86		
			वार्ड संख्या-5 सुनील ड्राइवर के घर से ज्वाला मंदिर तक दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	09.80	09.80		
			वार्ड संख्या-08 में परमेश्वर राजपूत के घर से डा0 पाण्डेय की रोड तक इण्टरलाकिंग रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	17.19	17.19		
			वार्ड संख्या-10 में कुसुम्भी रोड से नहर तक दांई तरफ डामर रोड के किनारे इण्टरलाकिंग रोड एवं नाला निर्माण कार्य।	39.56	39.56		
			वार्ड संख्या-10 में कुसुम्भी रोड से नहर तक बांई तरफ रोड के किनारे इण्टरलाकिंग रोड एवं नाला निर्माण कार्य।	39.56	39.56		
			खजुरिया तालाब का जीर्णोद्वार व पुनः निर्माण कार्य।	73.39	73.39		
			आशुतोष दीक्षित के घर के पीछे से बैंक आफ इण्डिया के बगल नाली तक नाली निर्माण कार्य।	05.83	05.83		
			योग-		**205.19**	**200.00**	**100.00**
4	मऊ	न.पं. अदरी	वार्ड नमबर-3 मु0 बाग में आजाद रोड पुलिया से वार्ड नम्बर-4 टाउन एरिया कार्यालय तक रोड पटिया वाल व इण्टरलाकिंग का कार्य।	20.85	20.85		
			नगर पंचायत सीमा के अन्दर 115 वाट एल0ई0डी0 लाईट लगाने का कार्य।	54.13	54.13		
			कोमल के मकान से दक्षिण अब्दुलनवी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	39.69	39.69		
			योग-		**114.67**	**100.00**	**50.00**

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-172/2015/538आ.न.यो./नौ-आठ-2015-09आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 25 मार्च,2015 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	मूल्यांकित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
5	सीतापुर	न.पं. सिधौली	मोहल्ला नरोत्तमनगर दक्षिणी में मिश्रिख रोड से रमजान होते हुए अनार देवी तक तथा ओमनाथ के मकान से जगदीश के मकान तक इंटरलाक सड़क तथा आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	48.46	48.46		
			वार्ड बहादुरगंज में श्री हनुमान मन्दिर से कालेज की बाउण्ड्री (स्व0 तोताराम जी) की समाधि तक इण्टरलाक सड़क का निर्माण कार्य।	34.23	34.23		
			योग-		**82.69**	**80.00**	**40.00**
6	चित्रकूट	न.पं. राजापुर	65 वाट एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट 100 नग पोल पर स्थापना कार्य।	42.22	42.22		
			योग-		**42.22**	**40.00**	**20.00**
7	बाराबंकी	न.पं. दरियाबाद	वार्ड बन्ने तले में नगर पंचायत कार्यालय भवन का निर्माण।	76.16	76.16		
			30 किलोवाट एस0पी0वी0 आफ ग्रिड पावर प्लान्ट विद बैट्री बैंक।	96.30	96.30		
			300 वाट हाईमास्ट लाईट स्थापना कार्य 20 नग।	29.42	29.42		
			योग-		**201.88**	**200.00**	**100.00**
8	कानपुर देहात	न.पं. सिकन्दरा	पटेल चौक से सरवेश चौरसिया आटा चक्की (बांयी तरफ साइड) होते हुए बिरहाना चौराहा रोड तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	36.34	36.34		
			पटेल चौक से राजेश कटियार के मकान होते हुए राजपुर रोड हाइवे तक (बांयी तरफ साइड) इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	15.59	15.59		
			पटेल चौक से रामऔतार गुप्ता के गेस्ट हाउस तक (दायीं तरफ साइड) इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	11.65	11.65		
			योग-		**63.58**	**61.35**	**30.675**
			कुल योग-			**902.35**	**451.175**

(रूपये चार करोड़ इक्सावन लाख सत्रह हजार पांच सौ मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in